न्यायिक प्रतिलिपि 7124
मुकदमा नम्बर
बनाम हेमराज / शारदा

प्रति–हस्ताक्षरित
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

न्यायालय-अपर जिला न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय), नोखा- बीकानेर

पीठासीन अधिकारी: मुकेश कुमार प्रथम (आरजे 00693)

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दीवानी (याचिका) संख्या 07/2024

1. हेमराज पुत्र भीयाराम निवासी नागणेची मंदिर, रोड़, तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

बनाम

1. शारदा देवी पुत्री सोहनलाल निवासी आडसर बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

-अप्रार्थीया

याचिका अन्तर्गत धारा 25 दी गार्जन एण्ड वार्डस एक्ट,1890

उपस्थिति-

1- विद्वान अधिवक्ता, श्री विनायक चितलंगी, प्रार्थी की ओर से।

2- अप्रार्थीया अनुपस्थित।

आदेश दिनांक-27.05.2025

1. प्रार्थी हेमराज की ओर से यह याचिका धारा 25 दी गार्जन एण्ड वार्डस एक्ट, 1890 के तहत न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2024 को प्रस्तुत करने पर नियमानुसार याचिका दर्ज की गई।

2. याचिका में प्रार्थी ने यह अभिकथन किया कि वह तथा अप्रार्थीया हिन्दू धर्म के अनुयायी है जिनका विवाह हिन्दू धर्म एवं जाति के रीति-रिवाज के अनुसार दिनांक 13.07.2016 को श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

27.5.25

में सम्पन्न हुआ जो बहुत ही साधारण तरीके से बिना दान-दहेज के सम्पन्न हुआ। विवाह के पश्चात् से ही अप्रार्थीया उसके व उसके परिवारजन से छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करती, घर का कार्य नहीं करती। प्रार्थी व उसके परिवारजनों द्वारा समझाने पर अप्रार्थीया गुस्सा होकर सभी से लड़ाई झगड़ा करती एवं अपमानित करती। बार-बार आत्महत्या की धमकी देती व घर से आत्महत्या का कहकर निकल जाती। अप्रार्थीया लगातार पीहर जाने की जिद करती और समझाने पर प्रार्थी व उसके परिवारजन के साथ लड़ाई झगड़ा कर दहेज के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती तब प्रार्थी व उसके परिवारजन अप्रार्थीया से भयभीत रहते और अप्रार्थीया के क्रूरतापूर्ण व्यवहार को सहन करते क्योंकि प्रार्थीया व उसके परिवारजन नहीं चाहते थे कि प्रार्थी व अप्रार्थीया का वैवाहिक जीवन बर्बाद हो। अप्रार्थीया अपनी अनुचित मांग की जिद मनवाने के लिये किसी भी हद तक चली जाती। यहां तक कि स्वयं को एवं प्रार्थी को शारीरिक हानि पहुंचाने से भी नहीं डरती और प्रार्थी के साथ मारपीट करने लगती तथा प्रार्थी अपना गृहस्थ जीवन बसाये रखने के लिये हरसम्भव प्रयास कर अप्रार्थीया की अनुचित मांगों को मजबूरीवश पूरा करता। अप्रार्थीया प्रार्थी के घर परिवार में आये सगे-संबंधी एवं रिश्तेदारों के प्रति भी रूखा व्यवहार रखती और उनसे चाय-नाश्ता का भी नहीं पूछती। कुछ समय पश्चात् प्रार्थी व अप्रार्थीया के विवाह से एक संतान दिनांक 13.05.2017 को ग्रन्थ लड़का उत्पन्न हुआ लेकिन अप्रार्थीया के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। अप्रार्थीया टोकने पर अपना मोबाईल फोन बाथरूम में लेकर चली जाती और करीब आधे घंटे बाद बाहर आती तो ऐसा लगता कि वो किसी से बात कर रही हो। अप्रार्थीया का यह व्यवहार दिनोंदिन बढ़ने लगा और साल 2020 से वह अपने बच्चों को साथ लेकर पीहर चली गई। तब से प्रार्थी व अप्रार्थी पृथक-पृथक रह रहे हैं एवं दिनांक 05.02.2024 को उनके मध्य विवाह को विच्छेद करने की डिक्री श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा पारित की गई तथा पुत्र को अप्रार्थीया की अभिरक्षा में दिया गया। जिसके बाद अप्रार्थीया ने दिनांक 11.03.2024 को दूसरा विवाह कर लिया और अपने पुत्र को साथ लेकर जाना उचित नहीं समझकर पुत्र को अपने पिता के घर छोड़ दिया। माता

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

27.5.25

के पश्चात् पिता का पुत्र को अभिरक्षा देने का अधिकार होता है परन्तु अप्रार्थीया ने प्रार्थी को उसके उस अधिकार से वंचित कर रखा है। प्रार्थी के पुत्र की अप्रार्थीया के माता-पिता के द्वारा अच्छी तरह से परवरिश नहीं की जा रही व न ही उसको सम्मान, अधिकार इत्यादि मिल रहे हैं। प्रार्थी को अपने पुत्र के भविष्य की चिंता है तथा वह अपने पुत्र का लालन-पालन करने में सक्षम है तथा अपने पुत्र का भरण पोषण, शिक्षा इत्यादि पूर्ण निष्ठा से करेगा। जिस प्रकार अप्रार्थीया प्रार्थी का घर छोड़कर बार-बार भाग जाती, उस प्रकार बच्चों का लालन-पालन सुचारू नहीं हो सकता और उनमें संस्कार की कमी रहेगी। अप्रार्थीया अपने साथ प्रार्थी के पुत्र को लेकर अपने मायके चली गई और उसके पुत्र से मिलने भी नहीं दे रही है। पिछले एक वर्ष से वह अपने पुत्र से नहीं मिला जबकि पिता को अपने पुत्र से मिलने के लिये भारतीय संविधान भी हक देता है। अप्रार्थीया के विवाह उपरांत प्रार्थी ने अप्रार्थीया के माता-पिता को अपने पुत्र की अभिरक्षा देने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया और समाज के मौजिज व्यक्तियों से निवेदन करने पर भी वह असफल रहा। अंत में याचिका न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की पूर्ण न्यायशुल्क एवं समयावधि में प्रस्तुत किया जाना बताते हुए प्रार्थी को अपने बच्चों की अभिरक्षा के आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीया पर नोटिस की तामिल नहीं होने पर तामिल के संबंध में दिनांक 08.01.2025 को स्थानीय स्थल पर प्रचलित समाचार पत्र युगपक्ष दैनिक, बीकानेर में प्रकाशन करवाया जिस प्रकाशन के पश्चात् न्यायालय के समक्ष अगली सुनवाई की नियत दिनांक 16.01.2025 को अप्रार्थीया अथवा उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

4. साक्ष्य प्रार्थी के दौरान एडब्ल्यू-1 हेमराज ने बतौर मुख्य परीक्षा अपना शपथ पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय द्वारा परीक्षित किया गया। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रार्थी हेमराज का आधारकार्ड प्रदर्श-1 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1 ए, पुत्र ग्रन्थराज सारस्वत के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श-2 ए, अखबार साया नोटिस प्रदर्श-3, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़ के

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

27.5.25

आदेश दिनांक 05.02.2024 की प्रति प्रदर्श-4 पेश कर प्रदर्शित कराए।

5. बहस सुनी गई।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्क हैं कि हस्तगत मामले में अप्रार्थीया शारदा देवी प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। प्रार्थी के परिवारवालों को अपमानित करती थी। गृहस्थ जीवन का पालन नहीं करती थी। क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी। प्रार्थी सब कुछ सहन करता रहा। इसी दौरान प्रार्थी के संसर्ग से अप्रार्थीया के एक संतान पुत्र ग्रंथ हुआ जो दिनांक 13.05.2017 को पैदा हुआ फिर भी अप्रार्थीया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वर्ष 2020 से प्रार्थीया अपने बेटे को लेकर पीहर चली गई और दिनांक 05.02.2024 तक पृथक ही रही। इसी दिनांक को दोनों पक्षकारान के मध्य विवाह विच्छेद भी न्यायालय द्वारा हो गया और दिनांक 11.03.2024 को अप्रार्थीया ने दूसरा विवाह कर लिया। फिर भी प्रार्थी के पुत्र को प्रार्थी की अभिरक्षा से वंचित कर रखा है। प्रार्थी अपने बच्चे के पालन-पोषण एवं शिक्षा व खान-पान हेतु समर्थ है। ऐसे में प्रार्थी को अपने पुत्र की अभिरक्षा दिलवाई जावे।

7. न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का विवेचन करें तो अपनी याचिका में प्रार्थी ने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि अप्रार्थीया शारदा देवी उसके साथ लड़ाई झगड़ा करती एवं परिवारवालों को अपमानित कर गृहस्थ जीवन का पालन नहीं कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी। प्रार्थी के संसर्ग से अप्रार्थीया के एक संतान पुत्र ग्रंथ दिनांक 13.05.2017 को पैदा हुआ फिर भी अप्रार्थीया के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वर्ष 2020 से प्रार्थीया अपने बेटे को लेकर पीहर चली गई और दिनांक 05.02.2024 तक पृथक ही रही। इसी दिनांक को दोनों पक्षकारान के मध्य विवाह विच्छेद भी न्यायालय द्वारा हो गया और दिनांक 11.03.2024 को अप्रार्थीया ने दूसरा विवाह कर लिया। फिर भी प्रार्थी के पुत्र को प्रार्थी की अभिरक्षा से वंचित कर रखा है जबकि प्रार्थी अपने बच्चे के पालन-पोषण एवं शिक्षा व खान-पान हेतु समर्थ है। इन्हीं तथ्यों के अनुरूप अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में कथन किये हैं तथा प्रार्थी ने स्वयं के आधार कार्ड, स्वयं के पुत्र

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)

27.5.25

ग्रन्थराज सारस्वत का जन्म प्रमाण पत्र, अखबार में प्रकाशन की प्रति एवं न्यायालय- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री को प्रदर्शित करवाया है। साथ ही शपथ पत्र भी स्वयं का प्रस्तुत किया है, जिसमें यह वर्णित किया है कि प्रार्थी अपने पुत्र ग्रंथ का पालन-पोषण, पढाई खर्च उठाने में समर्थ है जिसका कोई खण्डन अप्रार्थी पक्ष की ओर से नहीं हुआ है। ऐसे में प्रार्थी के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने यह भी वर्णित किया है कि अप्रार्थीया ने दिनांक 11.03.2024 को दूसरा विवाह कर लिया है, पुत्र को अपने साथ न रखकर अप्रार्थीया ने अपने माता-पिता को सौंप दिया है। इन समस्त तथ्यों को मददेनजर रखते हुए प्रार्थी की याचिका स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है क्योंकि बालक का सर्वोत्तम कल्याण मामले के तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी को ही अभिरक्षा में सुपुर्द करने में है।

आदेश

8. परिणामतः प्रार्थी हेमराज की ओर से अप्रार्थीया शारदा देवी के विरूद्ध प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 25 दी गार्जन एण्ड वार्डस एक्ट, 1890 स्वीकार की जाकर प्रार्थी हेमराज के पुत्र ग्रन्थराज सारस्वत जन्म दिनांक 13.05.2017 का नैसर्गिक संरक्षक प्रार्थी हेमराज को उसके समुचित लालन-पालन हेतु अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से सुपुर्द किया जाता है। अप्रार्थी पक्ष आदेश दिनांक 27.05.2025 से दो माह के भीतर प्रार्थी के पुत्र ग्रन्थराज सारस्वत को प्रार्थी हेमराज की अभिरक्षा में सुपुर्द करे। आदेश की एक प्रति रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीया के रजिस्टर्ड पते पर भिजवाई जावे।

27.5.25

(मुकेश कुमार प्रथम)

9. आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27.5.25

(मुकेश कुमार प्रथम)

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
भपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)